सचिका स0–7/बजट–46–20/2021 – 42 (7)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभू शरण भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा:– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनाक–21/05/2025

विषयः– **सदर अस्पताल, कटिहार के परिसर मे 100 बेड के नये अस्पताल के भवन निर्माण एवं परिसर विकास हेतु पूर्व स्वीकृत राशि रु० 22,67,00,000/–(रुपये बाइस करोड़ सडसठ लाख) मात्र के पुनरीक्षित राशि रू० 25,91,01,350/–मात्र के अधीन अवशेष राशि रु० 3,24,01,350/– (रुपये तीन करोड़ चौबीस लाख एक हजार तीन सौ पचास) मात्र व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश सख्या–523(10), दिनांक–22 07 2019 एव शुद्धि पत्र सख्या–722(10), दिनांक–09 09 2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 मे सदर अस्पताल, कटिहार के परिसर मे 100 बेड के नये अस्पताल के भवन निर्माण एव परिसर विकास हेतु रु० 22,67,00,000/–(रुपये बाइस करोड सडसठ लाख) मात्र की व्यय निमित प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध राशि का आवटन निर्माण एजेन्सी (BMSICL) को दी जा चुकी है। पुन निगम का पत्राक–4766, दिनाक–03 09 2024 के द्वारा उक्त सदर अस्पताल के भवन निर्माण कार्य सेनिटेशन एव विद्युतीकरण सहित कार्य हेतु पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन रू० 25,91,01,350/–मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु उपलब्ध करायी गयी है। साथ ही, उक्त परियोजना की GST की वृद्धि 12 से 18% की राशि एकरारनामा मे वर्णित प्रावधान 35 के आलोक मे 1,13,39,779/– मात्र की माग भी की गयी है।

2– वित्त विभागीय सकल्प सख्या–3515/वि०, दिनाक–26 03 2025 एव विभागीय पत्र सख्या–13(7), दिनाक–22 04 2025 के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि Centage के रूप मे प्राप्त राशि से ही बोर्ड/निगम द्वारा GST एव अन्य वैधानिक देयता/दायित्व का भुगतान किया जायेगा एव इस क्रम मे कोई अतिरिक्त राशि अनुमान्य नही होगी तथा GST की दर परिवर्तित होने के स्थिति मे भी Centage की दरे अप्रभावी रहेगी। अतएव स्पष्ट है कि सबधित परियोजना हेतु GST की वृद्धि राशि Centage की निर्धारित दरो के अन्तर्गत ही देय होगा। परियोजना की मूल प्राक्कलित राशि के परिप्रेक्ष्य मे Centage प्रदान किया जाता है, जिसकी दरे वित्त विभागीय अधिसूचना सख्या–653, दिनाक–25 01 2016 द्वारा प्रभावी है।

3– उक्त के परिप्रेक्ष्य मे सदर अस्पताल, कटिहार के परिसर मे 100 बेड के नये अस्पताल के भवन निर्माण एव परिसर विकास हेतु पूर्व स्वीकृत राशि रु० 22,67,00,000/–(रुपये बाइस करोड सडसठ लाख) मात्र के पुनरीक्षित राशि के अधीन वित्तीय वर्ष 2025–26 मे कुल रू0 25,91,01,350/–मात्र अवशेष राशि रु० 3,24,01,350/– (रुपये तीन करोड चौबीस लाख एक हजार तीन सौ पचास) मात्र व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है। वित्त विभागीय सकल्प सख्या 12888/वि०, दिनाक–03 12 2024 के कडिका–8 (क), द्वारा पुन प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नही है।

4–इस योजना हेतु अब तक आवटित राशि का विवरण निम्नरुपेण है–

क्र0स0	वित्तीय वर्ष	राशि (रु0 मे)	व्ययादेश स0 एव दिनाक
1	2019–20	5,00,00,000/–	स0–523(10), दिनाक–22 07 2019/18(10)ब, दिनाक–11 09 2019
2	2021–22	10,00,00,000/–	स0–263(10), दिनाक–05 08 2021/14(10)ब, दिनाक–05 08 2021
3	2022–23	5,00,00,000/–	स0–519(7), दिनाक–02 03 2023
4	2024–25	2,67,00,000/–	स0–230(7), दिनाक–21 10 2024
कुल योग–		22,67,00,000/–	

5– उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना द्वारा स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश सख्या–523(10), दिनाक–22 07 2019, सह–पठित शुद्धि–पत्र सख्या–722(10), दिनाक–09 09 2019 मे निहित शर्तो के आधार पर किया जाएगा।

6– उक्त कार्य माग सख्या–20 के अन्तर्गत, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाए लघु शीर्ष–110–अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष–0113 –जिला एव अनुमडलीय अस्पताल, भवनो का निर्माण, जीर्णोद्धार, विपत्र कोड–20-4210011100113, विषय शीर्ष–(53 01) मुख्य निर्माण कार्य अन्तर्गत उपबधित राशि से विकलनीय होगा।

7– इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होगे तथा नियत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगे।

8– अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 मे तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नही बल्कि खाता अतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट स0–PBBPLA007 विपत्र कोड–00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID------------ मे जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेगे।

9– बिहार चिकित्सा सेवाये एव आधारभूत सरचना निगम, पटना पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते मे प्राप्ति का चालान एव व्यय के सुसगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र मे ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे एव इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेगे।

10– राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सख्या–2561 वि0(2), दिनाक–17 04 98, 8543 वि0(2), दिनाक–27 11 2007, 3758/वि०, दिनाक–31 05 2017 एव 12888/वि०, दिनाक–03 12 2024 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

11– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी ।

12– प्रस्ताव एव प्रारूप मे अपर मुख्य सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

13– राज्यादेश प्रारूप मे आतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका सख्या– 7/बजट–46–20/2021 के पृष्ठ–31/टि0 मे प्राप्त है ।

14– सबधित प्रस्ताव मे महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है ।

15– यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, आवटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शंभू शरण)

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापाक – 42 (7) /स्वा0, पटना, दिनाक–21/05/2025

प्रतिलिपि–योजना एव विकास विभाग बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमडलीय आयुक्त, पूर्णिया प्रमडल, पूर्णिया/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/प्रबध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाये एव आधारभूत सरचना निगम, अस्पताल रोड, शास्त्रीनगर पटना/जिला पदाधिकारी, कटिहार/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाए, पूर्णिया प्रमडल, पूर्णिया/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कटिहार/अधीक्षक, सदर अस्पताल, कटिहार/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि:–माननीय मत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–7 एव सबधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

Alpana